मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, नाथद्वारा (राजस्थान)

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा)

पीठासीन अधिकारी : पुरूषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

मोटर दुर्घटना दावा संख्या : 16/2021
(CIS No. 16/2021)
(CNR No. RJRS060001642021)

1. कन्ना पिता हीमा उम्र 55 वर्ष – मृतका का पति
2. टमुडी पत्नी धना पुत्री कन्ना – मृतक की पुत्री (मृत्यु होने से नाम डिलिट)
3. लक्ष्मण पिता कन्ना उम्र 24 वर्ष – मृतका का पुत्र
4. गीता पत्नी गोपाल पुत्री कन्ना उम्र 22 वर्ष – मृतका की पुत्री
5. अणछी पत्नी शंकरलाल पुत्री कन्ना उम्र 20 वर्ष – मृतका की पुत्री
6. मांगी पत्नी नानालाल पुत्री कन्ना उम्र 18 वर्ष – मृतका की पुत्री

सभी निवासी भीलों की मंगरी, धांयला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

वि रू द्ध

1. प्रकाशचन्द्र पिता रमेशचन्द्र पुर्बिया आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द ——वाहन चालक/मालिक
2. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, राज टावर, तृतीय तल, मिडिल ब्लॉक, देत्या मंगरी, सहेलियों की बाडी, उदयपुर ——बीमा आगोपक

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166 व 140 मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थित :—
1. श्री बी.एल. लोढा व सुरेखा जैन – विद्वान् अधिवक्तागण प्रार्थीगण
2. श्री सुनील पालीवाल – विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री सुरेशचन्द्र टीलावत– विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

अधिनिर्णय

दिनांक : 09.06.2026

1. यह क्लेम प्रार्थना पत्र मृतका भागुडी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिकर प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण की ओर विपक्षीगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 एवं 140 के तहत क्षतिपूर्ति राशि 44,00,000/—रूपये प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.02.2020 को इस अधिकरण में प्रस्तुत किया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.12.2019 को घर के बाहर थोड़ा आगे धांयला में शाम करीब 7 बजे दुर्घटना घटित हुई थी। वक्त

दुर्घटना मृतका अपने पति के साथ रोड के किनारे किनारे अपने खेत से घर की ओर जा रहे थे कि जैसे ही मृतका एवं उसका पति उनके घर के आगे पहुंचे कि पीछे से एक कार संख्या आर.जे.30 सी.ए. 8915 का चालक अपनी उक्त कार को तेजगति, लापरवाही एवं असावधानी पूर्वक चलाते हुए लाया और मृतका को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मृतका के सिर में गंभीर चोटें आयी......वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक द्वारा किये गये कृत्य के लिये जिम्मेदार होने से तथा अपने वाहन को वक्त दुर्घटना वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 1 द्वारा बीमा कम्पनी में बीमित कराने से विपक्षी संख्या 3 इसलिये विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से प्रतिकर हेतु उत्तरदायी हैं। वक्त दुर्घटना मृतका मजदूरी एवं सिजारे का कार्य करती थी जिससे उसे 15,000/– रुपये मासिक आमदनी होती थी जिससे वह अपना एवं अपने परिवार का पोषण करती थी। प्रार्थीगण ने 44,00,000/– रूपये की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

3. विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर क्लेम आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया है। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध मिथ्या प्रकरण दर्ज करवाया है। विपक्षी द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी है। प्रार्थीगण का क्लेम आवेदन खारिज होने योग्य है।

4. विपक्षी संख्या–2 बीमा कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर क्लेम आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया और अपने विशेष कथन में अभिकथन किया कि विपक्षी बीमा कम्पनी से प्राप्त की गई बीमा पॉलिसी की आवश्यक एवं मुख्य शर्त यह है कि बीमाकृत वाहन के किसी प्रकार दुर्घटना में लिप्त होने पर तुरन्त ही वाहन स्वामी बीमा कम्पनी को कथित दुर्घटना से अवगत करायेगा और वाहन स्वामी निर्धारित क्लेम फार्म भरकर बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बीमा पॉलिसी के अनुसार बीमित वाहन उसी चालक के द्वारा चलित की जावेगी जिसके पास वैध व प्रभावी लाईसेंस होगा लेकिन वाहन चालक के पास वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी चालक लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत बीमित वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना कारित नहीं हुई है तथा प्रश्नगत बीमित वाहन किसी भी प्रकार से दुर्घटना में लिप्त नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में बीमा कम्पनी की कोई देयता नहीं बनती है। अंत में क्लेम आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

5. दौराने विचारण प्रार्थी संख्या 2 टमुडी की मृत्यु होने से न्यायालय द्वारा उसका नाम दिनांक 15.05.2026 को डिलीट किया गया।

6. प्रकरण के सुसंगत निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न बनाये जाते हैं–

(1) आया दिनांक 12.12.2019 को शाम करीब 7 बजे के करीब जिला राजसमन्द के पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र भीलों की मंगरी, धांयला में विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक ने वाहन कार संख्या आर.जे.30 सी.ए. 8915 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मृतका भागुडी के टक्कर मार दी जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई और उक्त दुर्घटना से मृतका भागुडी के आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी?
––प्रार्थीगण

(2) आया विपक्षी सं. 02 बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में आपत्तियों के अनुसार वाहन चालक/स्वामी विपक्षी संख्या 01 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दायित्वधीन नहीं है ? –––बीमा कम्पनी विपक्षी संख्या 2

(3) आया प्रार्थीगण याचिका में वर्णित अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हां, तो किस किस विपक्षी से व किस कदर प्राप्त करने के अधिकारी है? –––प्रार्थीगण

(4) अनुतोष ?

7. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू–1 कन्ना को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श 12 तक के दस्तावेजात् को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

8. विपक्षी पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

9. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दुर्घटना दिनांक 12.12.2019 को हुई थी। प्रार्थीगण ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकरण के तथ्यों को प्रमाणित किया है। अनुसंधान के क्रम में प्रदर्शित दस्तावेजात से प्रकरण की सम्पुरक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। वक्त दुर्घटना मृतका की उम्र 45 वर्ष थी। वह स्वयं नियोजक होकर प्रतिमाह 15 हजार रुपये कमाती थी और अपने परिवार का अच्छी तरह भरण–पोषण करती थी। मृतका की उक्त सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण को उससे होने वाली आमदनी की पूरी–पूरी क्षति हुई है। दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत वाहन कार को तेजगति, लापरवाही पूर्वक एवं

गलत ढंग से चलाकर कारित की गई है। बाद अनुसंधान पुलिस ने विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। अतः क्लेम याचिका में मांगे गये अनुतोष अनुसार प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को दिलवाई जावें। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जिनका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया–

(1) 2020 ACJ 2695
Pappu Devo Yadav v Naresh Kumar & ors.

(2) 2002 RAR 30 (Raj.)
Rajasthan State Road Transport Cor. v Nand Kishore & ors.

(3) 2009(8) SRJ 388
Bimla Devi & ors. v Himachal Road Transport Corpn. & ors.

(4) 2014 RAR 289 (SC)
Kishan Gopal & Anr. v Lala & ors.

(5) 2024 Supreme (SC) 189
Arvind Kumar Pandey & ors. v Girish Pandey & anr.

10. विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी ने अपनी बहस में लिखित बहस में उल्लेखित तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान दुर्घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है। मृतका भागुडी की आय एवं आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रश्नगत वाहन को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने दुर्घटना का कोई चश्मदीद साक्षी परीक्षित नहीं करवाया है और प्रश्नगत वाहन को इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। बीमा पॉलिसी की आवश्यक व मुख्य शर्त यह है कि बीमाकृत वाहन के किसी प्रकार की दुर्घटना में लिप्त होने पर वाहन स्वामी बीमा कम्पनी को कथित दुर्घटना से अवगत करवाये और वाहन स्वामी निर्धारित क्लेम फार्म भरकर बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करेगा परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने बीमा कम्पनी की उपरोक्त आवश्यक एवं मुख्य शर्त का उल्लंघन किया है इसलिये भी विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी की इस प्रकरण में कोई देयता विधि के तहत नहीं रहती है। अतः प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं सारहीन होने के कारण विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी के विरूद्ध खारिज की जावें।

11. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विवेचन के प्रकाश में विवाद्यकों के आधार पर इस अधिकरण का विनिश्चय निम्नांकित प्रकार से है:–

<u>विवाद्यक संख्या–1</u> :–

12. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है जिसके तहत प्रार्थीगण को यह साबित करना है कि दिनांक 12.12.2019 को शाम करीब 7 बजे के करीब जिला राजसमन्द के पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र भीलों की मंगरी, धांयला में विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक ने वाहन कार संख्या आर.जे.30 सी.ए. 8915 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मृतका भागुडी के टक्कर मार दी जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई और उक्त दुर्घटना से मृतका भागुडी के आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी?

13. विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में गवाह ए.ड.1 कन्ना ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसकी पत्नी भागुडी का एक्सीडेंट दिनांक 12.12.2019 को शाम को 7 बजे हुआ था। उसके घर से थोडा सा पीछे वो खेत से घर जा रहे थे। पीछे से एक कार वाले ने टक्कर मार दी जिससे उसकी पत्नी नीचे गिर गयी और उसके सिर पर चोट आयी। उसकी घरवाली की उम्र 45 वर्ष थी। वह उस समय मजदूरी और खेती बाडी का काम करती थी। वह रूपसिंह जी सरदा के सिजारा करती थी। उसकी पत्नी काम करके प्रतिदिन 500 रुपये लाती थी जिससे घर का खर्चा चलता था। इस दुर्घटना से उसका दिमाग खराब हो गया है। घटनास्थल से उसे नाथद्वारा हॉस्पीटल लाकर भर्ती किया जहां दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गयी। दाह संस्कार में एक दो लाख रुपये खर्च हो गये। यह घटना उसके सामने ही हुई थी। दुर्घटना से संबंधित पुलिस दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–12 तक है।

14. गवाह ए.ड.1 कन्ना ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किया कि घटना के वक्त वह मौके पर ही था। घटना दिनांक 12.12.2019 की है। भागुडी उसकी पत्नी है। गाड़ी के नंबर उसे आज याद नहीं है। वह आगे जा रहा था और पीछे से उसकी पत्नी के टक्कर दी थी। लक्ष्मण शादीशुदा है। गीता ससुराल में रहती है। मांगी और अणछी उसके साथ रहती है जिनकी शादी हो गयी है। उसके परिवार को अन्तयोदय योजना के तहत 5 किलो गेहूं मिलते हैं। उसकी पत्नी उससे 6 महिने छोटी है। यह कहना सही है कि उसने उसकी पत्नी की

आय से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वह रोजाना 200–400 रुपये कमाता है। जिस कार ने टक्कर मारी उसका रंग उसे अंधेरे में पता नहीं चला था। रिपोर्ट थाने में थानेदार साहब ने लिखी थी और उसने लिखवाई थी। थानेदार को गाडी के नंबर किसने बताया था उसे पता नहीं है फिर कहा कि गाडी को थाने में ही लाये थे। यह कहना सही है कि जिस गाडी ने टक्कर मारी थी वह गाडी मौके पर से भाग गयी थी।

15. प्रार्थीगण की उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खंडन में विपक्षी संख्या 2 बीमा कंपनी की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

16. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से पूर्व निम्न निर्णयज विधि से मार्गदर्शन प्राप्त करना न्यायोचित होगा :–

माननीय विनिर्णय **MACD 2014(2) (Kar.) 858, Parawati & ors. v Basavaraj & ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि "Accident is not disputed by both the parties - FIR lodged against driver of lorry - Spot panchanama discloses that lorry was found in the place of accident - Accident took place at 11-30 p.m. in the night during which the there could not be any eye witnesses - Sole eye-witness is the driver of lorry - Charge-sheet was filed against driver of lorry - Driver of lorry not examined before Tribunal - Held, Tribunal was not justified in rejecting claim petition - Claimants entitled to compensation of Rs.12,90,000/-"

माननीय विनिर्णय **2019 ACC 208 (All), Oriental Insurance Company Ltd. v. Chanchala & ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि "(i) In motor accident claim cases burden to prove fact of accident lies upon claimant, but this burden is not so strict as in criminal cases - Claimant has burden to prove accident on preponderance of probabilities by prima facie evidences only."

माननीय विनिर्णय **2019 ACC 732 (All.), Bechu Khan v Saraswati & Ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि (i) Involvement of vehicle - Claimants are not be put under strict burden to prove the accident - Post-mortem report states that death was cause due to ante-mortem injuries which deceased got in the accident - FIR narrates the exact detail of accident, clearly mentioning the registered number of motorcycle and time of accident - Tribunal rightly concluded that motorcycle has caused accident due to rash and negligent driving."

माननीय विनिर्णय **2012(2) ACTC (Raj.) 1141, National Insurance Company Ltd. v. Smt. Surya & Ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि "Compensation - Involvement of Vehicle - FIR of incident was immediately

registered - Witness corroborated the fact of accident - He was not cross-examined by Insurance Company - Onus that the vehicle was not involved in accident, was on Insurance Company - It failed to prove this fact - Plea rejected."

17. उपरोक्त माननीय विनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त साक्ष्य का विवेचन करें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2 दिनांक 12.12.2019 को परिवादी कन्ना के द्वारा दर्ज करवाई है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि दिनांक 12.12.2019 को सांय करीब 7 बजे वह तथा उसकी पत्नी भागुडी उनके खेत से गांव धांयला रोड से उनकी सही साइर्ड में पैदल पैदल घर आ रहे थे कि पीछे से एक कार नंबर आर.जे.30 सी.ए. 8915 का चालक तेजगति एवं गफलत लापरवाही पूर्वक रिवर्स चलाता हुआ लेकर आया एवं उसकी पत्नी के टक्कर मार एक्सीडेंट कर दिया जिससे उसकी पत्नी के गंभीर चोटें आने के कारण मृत्यु हो गयी। इसके अतिरिक्त नक्शा मौका प्रदर्श–5 के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत वाहन कार के चालक द्वारा उक्त वाहन को रिवर्स में तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतका भाुडी के टक्कर मारना जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई। दुर्घटना में मृतका भागुडी की मृत्यु हुई है जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–4 है। गवाह ए.ड.1 कन्ना ने भी अपनी साक्ष्य में प्रश्नगत वाहन कार द्वारा उसकी पत्नी के टक्कर मारना जिससे उक्त दुर्घटना होना प्रकट किया है। गवाह ए.ड.1 कन्ना ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि घटना के वक्त वह मौके पर ही था और घटना दिनांक 12.12.2019 की है।

18. प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई साक्ष्य में गवाह ए.ड.1 कन्ना ने अपनी साक्ष्य में क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की हैं। इस गवाह के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे इसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई दस्तावेजी साक्ष्य में आरोप पत्र प्रदर्श–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2, चाक एफआईआर प्रदर्श–3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका आशा प्रदर्श–4, नक्शा मौका प्रदर्श–5, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श–6, प्रश्नगत वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रदर्श–7, प्रश्नगत वाहन का इंश्योरेंस प्रदर्श–9 एवं मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श–12 आदि दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण की मौखिक साक्ष्य की पुष्टि होती है। प्रश्नगत वाहन संख्या आर.जे.30 सी.ए. 8915 विपक्षी संख्या 1 के नाम रजिस्टर्ड है। प्रश्नगत वाहन के इंश्योरेंस प्रदर्श–9 के अनुसार प्रश्नगत वाहन

विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी से बीमित था। प्रश्नगत वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 को इस दुर्घटना के लिये दोषी मानते हुये विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. एवं 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र प्रदर्श–1 पेश किया गया है। उक्त साक्ष्य का खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया गया है। धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श–6 में वाहन चालक/स्वामी विपक्षी संख्या 1 ने प्रश्नगत वाहन स्वयं द्वारा वक्त दुर्घटना चलाना बताया है। विपक्षी संख्या 1 प्रश्नगत वाहन को स्वयं के नियोजन में स्वयं के हितार्थ व लाभार्थ वाहन को चला रहा था। अतः इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है कि दुर्घटना घटित नहीं हुई हो।

19. उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचनानुसार यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 12.12.2019 को शाम करीब 7 बजे के करीब जिला राजसमन्द के पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र भीलों की मंगरी, धांयला में विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक ने वाहन कार संख्या आर.जे.30 सी.ए. 8915 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मृतका भागुडी के टक्कर मार दी जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई और उक्त दुर्घटना से मृतका भागुडी के आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

20. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार के विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–2</u> :–

21. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी पर है जिसके अनुसार विपक्षी संख्या 2 को यह सिद्ध करना है कि क्या विपक्षी सं. 02 बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में आपत्तियों के अनुसार वाहन चालक/स्वामी विपक्षी संख्या 01 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दायित्वधीन नहीं है ?

22. विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी की यह आपत्ति भी रही है कि प्रश्नगत वाहन के चालक के पास प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी और उसकी लापरवाही से उक्त दुर्घटना कारित नहीं हुई है। विपक्षी वाहन चालक एवं स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी की आवश्यक शर्तो एवं नियमों का उल्लंघन किया गया था इस कारण विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी की कोई

देयता नहीं बनती है परन्तु विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी की ओर से इस संबंध में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित होता हो कि प्रश्नगत वाहन के चालक के पास प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं हो जबकि प्रार्थीगण की ओर से विपक्षी संख्या 1 के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत कर प्रदर्श–8 के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी है जिससे यह साबित होता है कि वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 के पास वाहन चलाने की प्रभावी एवं वैध चालक अनुज्ञप्ति थी। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी की उक्त आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

23. लिहाजा यह विवाद्यक विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 3</u> :–

24. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है, जिसमें प्रार्थीगण को यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या प्रार्थीगण याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हां, तो किस किस विपक्षी से व किस कदर प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

25. इस विवाद्यक के निस्तारण के संबंध में गवाह ए.ड.1 कन्ना ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मृतका मजदूरी ओर खेती बाडी का काम करती थी और रूपसिंह जी सरदा के सिजारा करती थी तथा प्रतिदिन 500 रुपये लाती थी परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उसकी पत्नी की आय से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मृतका भागुडी की वक्त दुर्घटना आय 15,000/– रुपये मासिक नहीं मानी जा सकती है। मृतका भागुडी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये उसे एक अकुशल श्रमिक माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

26. प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जहां तक मृतका की आयु का प्रश्न है, प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में घटना के वक्त मृतका की आयु 50 वर्ष होना कहा है। इस संबंध में बीमा कम्पनी के द्वारा यह आपत्ति ली गयी है कि मृतका की आयु के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और ए.ड.1 कन्ना ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी उससे 6 महिने छोटी है। इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मृतका की आयु 50 वर्ष होना कहा है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन

किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि ए.ड.1 कन्ना द्वारा जो रिपोर्ट प्रदर्श–2 दर्ज करवायी गयी है उसमें भी मृतका की आयु 50 वर्ष अंकित है तथा इस संबंध में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–4 प्रस्तुत की गई है जिसमें भी मृतका की आयु 50 वर्ष अंकित है। प्रार्थी ए.ड.1 कन्ना ने अपनी साक्ष्य में उसकी पत्नी का उससे 6 महिने छोटी होना कहा है तथा प्रार्थी ए.ड.1 कन्ना ने क्लेम आवेदन में अपनी आयु 55 वर्ष होना अंकित किया है। प्रार्थीगण की ओर से मृतका भागुडी की आयु के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ए.ड.1 कन्ना की साक्ष्य से मृतका की आयु वक्त घटना 54 वर्ष होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में मृतका की आयु वक्त दुर्घटना 54 वर्ष होना अवधारित किया जाता है। अतः वक्त दुर्घटना मृतका को 51 से 55 वर्ष आयु वर्ग का व्यक्ति माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

27. साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रार्थी निम्न प्रकार से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है–

(A) धन संबंधी/आर्थिक हानि (For Pecuniary Damage)

i (a) ईलाज में हुआ वास्तविक खर्च–(Actual Medical Expenses) :–

प्रार्थीगण ने मृतका भागुडी के ईलाज के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, इस कारण इस मद में प्रार्थीगण कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(b) अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुए आनुषांगिक खर्च :–

प्रार्थीगण ने मृतका भागुडी के ईलाज के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, इस कारण इस मद में प्रार्थीगण कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(ii) आय का निर्धारण –(Income) :–

यह दुर्घटना दिनांक 12.12.2019 की है और राजस्थान राजपत्र एवं श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक की न्यूनतम दर 5,850/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में मृतका की आय वक्त दुर्घटना 5,850/– रुपये प्रतिमाह होना अवधारित की जाती है।

(iii) भावी वृति (Future Income) रूपये

न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित

किया है कि–''स्वनियोजित व्यक्ति के मामले में भावी प्रत्याशा–परिकलन की आवश्यक विधि के रूप में जहां मृतक स्वनियोजित था या नियत वेतन पर कार्यरत था वहां यदि उसकी आयु 40 वर्ष से कम होने की दशा में साबित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना वांछित है–जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच है, वहां 25 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये तथा जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु का बीच का हो वहां 10 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये–साबित आय का आशय है, टेक्स की राशि कम किये जाने के बाद शेष आय।''

उक्त सिद्धान्त अनुसार मृतका के आयु वर्ग को दृष्टिगत रखते हुये उसकी मासिक आय 5,850/– रुपये में 10 प्रतिशत राशि 585/– रुपये भविष्य की बढ़ोतरी के रूप में होने वाली आय को जोड़े जाने पर मृतक की कुल मासिक आय **6,435/– रूपये** होना अवधारित की जाती है।

(iv) आश्रियता की हानि (Dependancy) :-

हस्तगत क्लेम याचिका मृतका भागुडी के पति प्रार्थी संख्या 1 कन्ना, मृतका की पुत्री प्रार्थी संख्या 2 टमुडी, मृतका का पुत्र प्रार्थी संख्या 3 लक्ष्मण, मृतका की पुत्री प्रार्थी संख्या 4 गीता, मृतका की पुत्री प्रार्थी संख्या 5 अणछी एवं मृतका की पुत्री प्रार्थी संख्या 6 मांगी की ओर से प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण के मृतका पर आश्रित होने के कारण उक्त आय 6,435/– रूपये में से 1/4 भाग अर्थात् 1,609/– रुपये निजी व्यय में कम करने पर मृतका द्वारा परिवार के लिये अंशदान राशि 4,826/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। यह निर्धारण **सरला वर्मा विनिर्णय (2009)6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 121** के अनुरूप किया गया है।

(v) गुणक का निर्धारण (Multiplier) रूपये

उपरोक्त किये गये विवेचन के अनुसार मृतका की आयु 54 वर्ष होने से वक्त दुर्घटना मृतका को 51 वर्ष से 55 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना अवधारित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त ***सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सिविल अपील संख्या 3483/08 निर्णय दिनांक 15.04.2009*** विनिर्णय अनुसार मृतक की आयु को

देखते हुए प्रकरण में 11 का गुणक प्रयोग में लिया जाता है। कुल धन सम्बन्धी/आर्थिक हानि = भावी वृति सहित मासिक आय गुणक 12 माह गुणक मृतक की आयु को देखते हुये 11 के गुणक का उपयोग किया जाना उचित है।

4826 X 12 X 11 = 6,37,032/— रूपये

(B) गैर धन सम्बन्धी/गैर आर्थिक हानियां (Non Pecuniary Damages) रूपये

(i) प्यार, स्नेह, वंचना सहचर्य सुख से वंचित होने पर हानि (Loss of consortium) रूपये

जहां तक मृतका की मृत्यु के परिणास्वरूप प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **Civil Appeal No(s).9233/2022 [Special Leave Petition (Civil) No.10860/2021] Harpreet Kaur & Ors. vs Mohinder Yadav & Ors** तथा **Magma General Insurance Co. Ltd. vs Nanu Ram and others, 2018 ACJ 2782** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा **एस.बी.सिविल मिसलेनियस अपील नम्बर 730/2000 श्रीमती खुमानी बाई एवं अन्य बनाम मोहनलाल वगै.** में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में प्रार्थी संख्या 1 को मृतका के पति की हैसियत से **Spousal कंसोर्टियम** के रूप में 40,000/— रुपये, प्रार्थी संख्या 3 मृतका का पुत्र एवं प्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 को मृतका की पुत्रियों की हैसियत से पेरेन्टल कंसोर्टियम के रूप में प्रत्येक को 40,000/— रुपये इस प्रकार कुल 2,00,000/— रुपये दिलाया जाना न्यायोचित है। यह निर्धारण न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में पारित दिशानिर्देशों के अनुरूप दस प्रतिशत बढ़ोतरी कर किया गया है। प्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु होने से उसे इस मद में कोई राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ii) दाह संस्कार (Funeral Expenses) रूपये

मृतका के अंतिम संस्कार, क्रियाकर्म व पश्चात्वर्ती अन्य धार्मिक रीति रिवाज पर हुये व्यय हेतु प्रतिकर 15,000/—रूपये।

(iii) सम्पति की हानि हेतु (Loss of estate) रूपये

15,000/— रूपये।

28. इस प्रकार मृतका की मृत्यु पर देय कुल प्रतिकर राशि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	किस मद में क्षतिपूर्ति दिलायी गयी	क्षतिपूर्ति राशि रूपये में
1.	मेडिकल बिलों की कुल राशि	0
2.	पौष्टिक आहार	0
3.	अटेण्डेंट व्यय	0
4.	आय की क्षति के लिये	6,37,032
5.	प्यार, स्नेह एवं वंचना से वंचित होने पर	2,00,000
6.	दाह संस्कार	15,000
7.	सम्पत्ति की हानि	15,000
	कुल	**8,67,032**

विवाद्यक संख्या–4 (अनुतोष) :–

29. विवाद्यक संख्या–3 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक पृथक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में **कुल 8,67,032/–रुपये** प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः तद्नुसार पंचाट पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पंचाट

30. परिणामतः प्रार्थीगण कन्ना वगै. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 140 व 166 मोटर वाहन अधिनियम विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 एवं 02 आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 एवं 02 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से **कुल 8,67,032/–रुपये (अक्षरे आठ लाख सड़सठ हजार बत्तीस रूपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पूर्व में यदि दोषरहित दायित्व के अधीन राशि अदा की गई है तो वह राशि प्रतिकर राशि में समायोजित होगी एवं शेष राशि पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 10.02.2020 से वसूली तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वंय वहन करेगें।

31. प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थीगण प्रतिकर राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं और प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का विभाजन निम्न प्रकार से होगा :–

क्र. सं.	नाम	मृतक से संबंध	बचत खाते में देय राशि (रूपयों में)	सावधि जमा खाते में देय राशि (रूपयों में)
1.	कन्ना	पति	1,67,032/– मय ब्याज की राशि	1,00,000/– 2 वर्ष के लिए 2,00,000/– 5 वर्ष के लिये 2,00,000/– 7 वर्ष के लिये
2.	लक्ष्मण	पुत्र	–	50,000/– 3 वर्ष के लिये
3.	गीता	पुत्री	–	50,000/– 3 वर्ष के लिये
4.	अणछी	पुत्री	–	50,000/– 3 वर्ष के लिये
5.	मांगी	पुत्री	–	50,000/– 3 वर्ष के लिये

32. प्राथीगण को स्वयं के सावधि जमा राशियों पर त्रैमासिक अन्तराल से ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा। सावधि जमा योजनाओं में जमा राशियों को इस अधिकरण की इजाजत के बिना विभाजित व अन्तरित व प्रभारित नहीं किया जायेगा।

33. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, के ***एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6237/2017 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य*** में जारी निम्न दिशा निर्देशो की पालना में :–

1. प्रार्थीगण अपनी पास बुक की प्रति जिसमें बैंक खाते का विवरण हो एवं स्वयं का फोटो बैंक द्वारा सत्यापित हो, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

2. सभी प्रार्थीगण आयकर कटौती हेतु अपने पेन कार्ड की प्रति विपक्षी संख्या तीन बीमा कंपनी को सूचित करते हुये अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

3. पंचाट की पालना में विपक्षी संख्या 2 बीमा कंपनी इस अधिकरण **(न्यायाधीश, मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्युनल, नाथद्वारा)** के बैंक, एच.डी.एफ. सी. बैंक, शाखा नाथद्वारा में स्थित बचत खाता संख्या 50100278587671 (IFSC Code HDFC0004256) में NEFT या RTGS से एक माह में जमा करावे एवं विहित प्रारूप में उसकी सूचना 15 दिवस में अधिकरण में उपलब्ध करावे। साथ ही जमा करवाने की सूचना की एक प्रति प्रार्थी को

भी देवे। साथ ही यदि कोई आयकर कटौती की जाती है तो आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र भी अधिकरण के समक्ष प्रार्थी को सूचित कर जमा करावे। NEFT या RTGS के रिमार्क में इस प्रकरण के उनवान व प्रकरण संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावें ताकि अधिकरण को यह ज्ञात हो सके कि उक्त राशि इस प्रकरण में जमा कराई गई है।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)

34. निर्णय व पंचाट आज दिनांक **09.06.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं न्यायालय मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)